उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक : 31.03.2026

यू0पी0सी0एल0 हेतु टैरिफ आदेश वित्तीय वर्ष 2026–27 – मुख्य बिन्दु

- यू0पी0सी0एल0 द्वारा वित्तीय वर्ष 2024–25 के सहीकरण (truing up), वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए वार्षिक निष्पादन समीक्षा (APR) तथा वित्तीय वर्ष 2026–27 के लिए वार्षिक राजस्व आवश्यकता (ARR) एवं टैरिफ निर्धारण हेतु आयोग के समक्ष पीटिशन दिनांक 10 दिसम्बर, 2025 को प्रस्तुत की गई।

- यूपीसीएल द्वारा प्रारम्भ में अपनी पीटिशन में वित्तीय वर्ष 2026–27 के लिए टैरिफ में 16.23% की वृद्धि प्रस्तावित की गयी, हालांकि कार्यवाही के दौरान, यूपीसीएल ने आवश्यक टैरिफ वृद्धि को संशोधित करके 17.40% किया गया। अतः यूपीसीएल द्वारा दावा किये गये संशोधित वार्षिक राजस्व आवश्यकता (ARR) के आधार पर ही आयोग द्वारा वार्षिक राजस्व आवश्यकता (ARR) की तुलना की गयी है।

- यूपीसीएल ने वित्तीय वर्ष 2026–27 के लिए 13.69% वितरण हानि को ध्यान में रखते हुए रू0 14731.98 करोड़ का कुल वार्षिक राजस्व आवश्यकता (ARR) आंकलित की गयी थी, इस प्रकार वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए वहन लागत सहित सहीकरण (truing up) सहित रू0 2183.94 करोड़ का कुल राजस्व अंतर (Gap) प्रस्तावित किया गया। इस राजस्व अंतर की वसूली के लिए, यूपीसीएल ने लगभग 17.40% की टैरिफ वृद्धि का अनुरोध किया था। PTCUL/SLDC एवं UJVN Ltd. द्वारा प्रस्तावित वृद्धि को दृष्टिगत रखते हुए कुल टैरिफ वृद्धि 18.86% प्रस्तावित की गयी, जिसमें UPCL द्वारा 17.40%, PTCUL द्वारा 58.83%, एवं UJVN Ltd. द्वारा 11.64% की प्रस्तावित वृद्धि भी उनकी याचिका में सम्मिलित थी।

- आयोग ने UJVN Ltd. के मामले में उर्जा विकास निधि (PDF) से निवेश की गई इक्विटी पर अंशपूंजी पर लाभांश (Return on Equity) की अनुमति देने के लिए APTEL के फैसले का अनुपालन करते हुए पिछले अवधि के अंशपूजी पर लाभांश (Return on Equity) को वित्तीय वर्ष 2025–26 से वित्तीय वर्ष 2027–28 तक तीन वर्षों में वसूलने की अनुमति दी है। वित्तीय वर्ष 2026–27 पर इसका प्रभाव रू0 248.73 करोड़ है। जिसके फलस्वरूप, आयोग ने उर्जा विकास निधि (PDF) से PTCUL में पिछले अवधि के निवेश पर अंशपूजी पर लाभांश (Return on Equity) को भी पूर्ववोक्त तीन वर्षों में वसूलने की अनुमति दी है। वित्तीय वर्ष 2026–27 पर इसका प्रभाव रू0 78.56 करोड़ है।

- **इस टैरिफ आदेश में आयोग द्वारा अभिलेखों के संवीक्षोपरान्त निम्न अनुमोदन किये गयेः—**

  a) **वित्तीय वर्ष 2024—25 के संप्रेक्षित लेखों के आधार पर सहीकरण (truing up)।**
  b) **वित्तीय वर्ष 2026—27 के लिए वार्षिक राजस्व आवश्यकता (ARR)।**
  c) **वित्तीय वर्ष 2026—27 के लिए टैरिफ निर्धारण।**

- यू0पी0सी0एल0 द्वारा प्रस्तुत किये गये आंकड़ों के परीक्षणों के आधार पर आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2026—27 के लिए वार्षिक राजस्व आवश्यकता (ARR) रू0 12489.54 करोड़ निर्धारित किया गया है। यह एआरआर वित्तीय वर्ष 2024—25 के लिए अंतिम सहीकरण (truing up) के प्रभाव को सम्मिलित करते हुए है। आयोग ने वित्तीय वर्ष 2026—27 के लिए 16444 MU की अनुमानित बिक्री पर मौजूदा टैरिफ पर राजस्व का अनुमान रुपये 12590.41 करोड़ आंकलित किया गया है। जिससे रू0 100.87 करोड़ का राजस्व अधिशेष रह गया।

- वित्तीय वर्ष 2026—27 के लिए अधियाचित वार्षिक राजस्व आवश्यकता (ARR) रू0 14731.99 करोड़ एवं 16761 MU की अनुमानित विक्रय पर यूपीसीएल द्वारा अनुमानित आपूर्ति की औसत लागत रू0 8. 79 / KWh है, जबकि स्वीकृत आपूर्ति की औसत लागत रू0 7.60 / KWh है। (यह गणना रू0 12489.54 करोड़ के स्वीकृत एआरआर और 16444 MU की अनुमानित बिक्री के आधार पर की गई है)।

- आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2026—27 के लिए 12.25% वितरण हानि अनुमोदित की गयी है। स्वीकृत बिक्री और वितरण हानि पर विचार करते हुए, वित्तीय वर्ष 2026—27 के लिए कुल ऊर्जा आवश्यकता 19524 MU आंकलित की गयी है, जिसमें THDC-PSP की पंपिंग ऊर्जा आवश्यकता भी सम्मिलित है।

- वित्तीय वर्ष 2026—27 के लिए आयोग द्वारा अनुमोदित वार्षिक राजस्व आवश्यकता (ARR) का विवरण निम्नानुसार हैः—

तालिका : 1 वित्तीय वर्ष 2026—27 हेतु वार्षिक राजस्व आवश्यकता (ARR) हेतु अनुमोदन (रू0 करोड़)

क्र.	विवरण	यूपीसीएल द्वारा प्रस्तावित	आयोग द्वारा अनुमोदित
1	विद्युत क्रय पर खर्च (RPO एवं जल कर को सम्मिलित करते हुए)	9105.64	9340.23
2	पारेषण शुल्क		
	पीजीसीआईएल	753.61	595.00
	पिटकुल एवं एस0एल0डी0सी0	615.13	651.85
3	ऋण एवं वित्तीय प्रभार पर ब्याज	258.24	94.13
4	उपभोक्ताओं की जमा धरोहर राशि पर व्याज	146.25	146.25
5	मूल्य ह्रास	259.23	144.19
6	O&M व्यय	1221.50	967.40
7	स्मार्ट मीटर OPEX खर्चे	327.72	215.79
8	कार्यशील पूंजी पर ब्याज	210.62	193.58
9	लाभांश	329.19	129.36
10	अशोध्य ऋणों के लिए प्रावधान	125.48	113.30
11	**वार्षिक राजस्व आवश्यकता**	**13352.61**	**12591.09**
12	घटायाः गैर टैरिफ आय	338.69	473.60
13	सहीकरण का प्रभाव अन्तर / (अधिशेष)	1718.06	343.07
14	अतिरिक्त दावा : विगत एआरआर (विद्युत निरीक्षक प्रमाणपत्र)*	-	28.98
15	**शुद्ध राजस्व आवश्यकता**	**14731.98**	**12489.54**

** वित्तीय वर्ष 2016-17 से वित्तीय वर्ष 2023-24 तक*

वित्तीय वर्ष 2026–27 हेतु रिटेल टैरिफ के मुख्य बिन्दुः

a) यूपीसीएल के लगभग 17.40% तथा यूजेवीएनएल और पिटकुल के टैरिफ वृद्धि के प्रस्तावों के अनुरूप कुल टैरिफ वृद्धि 18.86% के सापेक्ष आयोग द्वारा कोई टैरिफ वृद्धि स्वीकृत नहीं की गयी है। टैरिफ संरचना को युक्तिसंगत बनाने के लिए, आयोग ने कुछ श्रेणियों के टैरिफ में संशोधन किया है।

b) आयोग द्वारा विभिन्न श्रेणियों के उपभोक्ताओं हेतु टैरिफ को निर्धारण करते समय लगभग सभी उपभोक्ता श्रेणियों के लिए क्रास–सब्सिडी का स्तर राष्ट्रीय टैरिफ नीति में निर्दिष्ट क्रॉस सब्सिडी को +/– 20% के भीतर रखना सुनिश्चित किया गया है।

c) आयोग ने सभी उपभोक्ता श्रेणियों में मौजूदा Fixed/Demand Charges में कोई परिवर्तन नहीं किया है।

d) आयोग ने वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए पूर्व में अनुमोदित टैरिफ को कुछ टैरिफ युक्तिकरण उपायों के साथ यथावत् रखा गया है, जो कि निम्नानुसार है :–

   i. आरटीएस–1ः सिंगल पॉइंट बल्क सप्लाई – आरटीएस–1ः सिंगल पॉइंट बल्क सप्लाई पर लागू वर्तमान विद्युत मूल्य को रू0 7.50 / KVAh से घटाकर रू0 6.25 / KVAh कर दिया गया है, ताकि इसका औसत बिलिंग दर (ABR) अन्य घरेलू उपभोक्ताओं के समग्र औसत बिलिंग दर (ABR) के साथ एकरूपता (Align) हो सके।

   ii. आरटीएस–5ः औद्योगिक उपभोक्ता – राज्य में बिजली आपूर्ति की स्थिति में सुधार को देखते हुए और क्रॉस–सब्सिडी उपभोक्ताओं की खपत को प्रोत्साहित करने के लिए, आयोग ने एचटी औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए लोड फैक्टर (LF) स्लैब को मौजूदा 40% से 50% तक पुनर्वर्गीकृत किया है।

   iii. आयोग ने 50% से अधिक लोड फैक्टर को प्रोत्साहित करने के लिए टैरिफ को रू0 6.85 / KVAh से घटाकर रू0 6.60 / KVAh करने का निर्णय लिया है, जबकि निम्न लोड फैक्टर जो कि 50% है, का वर्तमान टैरिफ रू0 6.45 / KVAh के मुकाबले रू0 6.85 / KVAh का उच्च टैरिफ लागू होगा।

   iv. विद्युत मंत्रालय के विद्युत (उपभोक्ता के अधिकार) अधिसूचित नियम के अनुसार, आयोग ने 25 किलोवाट से अधिक भार वाले औद्योगिक उपभोक्ताओं (LT and HT) के लिए सौर ऊर्जा अवधि के दौरान जो कि सुबह 9.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक की खपत पर 22.5% की छूट लागू की है। जिसे चालू वित्तीय वर्ष के लिए लागू किया गया है, गैर–पीक घंटों और उस पर लागू छूट के बजाय।

   v. राज्य में बिजली आपूर्ति की स्थिति में सुधार को ध्यान में रखते हुए, निरंतर आपूर्ति अधिभार की दर को मौजूदा 15% से घटाकर 7.5% कर दिया गया है।

   vi. 33 केवी पर आपूर्ति के मामले में वोल्टेज छूट को विद्युत मूल्य पर वर्तमान में 3.5% छूट के सापेक्ष उसको बढ़ाकर 4.5% कर दिया गया है और 132 केवी और उससे ऊपर की आपूर्ति के मामले में, वोल्टेज छूट हेतु विद्युत मूल्य पर मौजूदा 7.5% छूट के मुकाबले बढ़ाकर 8% कर दिया गया है।

vii. मौसमी उपभोक्ता के अन्तर्गत ''**होटल एवं रेस्तरां**'' का उदयः यदि किसी ऑफ–सीजन माह में दर्ज की गई अधिकतम मांग अनुबंधित मांग (Contracted Demand) के 10% से कम है, तो ऑफ–सीजन माह के लिए निर्धारित शुल्क सामान्य अवधि के दौरान लागू निर्धारित दर पर अनुबंधित मांग के 10% पर गणना की जाएगी। यदि किसी ऑफ–सीजन माह में दर्ज की गई अधिकतम मांग Contracted Demand के 10% से अधिक है, तो उसे ऑफ–सीजन माह नहीं माना जाएगा और तदनुसार, सभी शुल्क दर अनुसूची के अनुसार लागू होंगे।

viii. पीटीडब्ल्यू उपभोक्ताओं के लिए अर्धवार्षिक बिलिंग (Half Yearly Billing) के स्थान पर त्रैमासिक बिलिंग (Quaterly Billing) की शुरुआत, वर्तमान भुगतान चक्र को बरकरार रखते हुये की गयी है।

e) यूपीसीएल के निदेशक मंडल को आयोग द्वारा जारी सभी निर्देशों के अनुपालन की निगरानी करने और उनके समय पर कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। यूपीसीएल के प्रबंध निदेशक को आयोग द्वारा जारी निर्देशों पर की गई कार्रवाई की स्थिति की रिपोर्ट प्रत्येक माह के अंत से 15 दिनों के भीतर निदेशक मंडल को प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है, जिसकी एक प्रति आयोग को भी भेजी जाएगी। निदेशक मंडल कम से कम त्रैमासिक रूप से अनुपालन की स्थिति की समीक्षा करेगा और निदेशक मंडल की सिफारिशों सहित एक रिपोर्ट तिमाही के अंत से 30 दिनों के भीतर आयोग को प्रस्तुत करेगा।

f) उपभोक्ताओं को स्मार्ट मीटरिंग का लाभ पहुंचाने के लिए, आयोग ने याचिकाकर्ता को समयबद्ध तरीके से स्मार्ट प्रीपेड मीटरिंग योजना लागू करने का निर्देश दिया है, यह सुनिश्चित करते हुए कि टैरिफ याचिका में उल्लिखित समय सीमा का पालन किया जाए और प्रत्येक तिमाही की समाप्ति के 15 दिनों के भीतर आयोग को एक त्रैमासिक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। स्मार्ट मीटर डेटा तक पहुंच और मोबाइल एप्लिकेशन (स्मार्ट मीटर ऐप) के उपयोग के संबंध में, याचिकाकर्ता को उपभोक्ताओं के लिए ओरिएंटेशन सत्र आयोजित करने और उन्हें यह सूचित करने का निर्देश दिया गया है कि वे मोबाइल ऐप के माध्यम से सभी प्रासंगिक डेटा तक किस प्रकार पहुंच सकते हैं।

g) किए गए पूंजीगत कार्यों के लाभ का विश्लेषण करने के लिए, आयोग ने यूपीसीएल को प्रत्येक प्रभाग के प्रदर्शन सुधार पर पूंजीगत व्यय के प्रभाव का विश्लेषण करने वाला एक अध्ययन करने का निर्देश दिया है, जिसका उद्देश्य आयोग द्वारा अनुमोदित टैरिफ के अनुरूप प्रभाग–वार बिलिंग दक्षता, राजस्व संग्रह और एबीआर की वसूली में परिणामी सुधार प्राप्त करना है।

h) हानियों को कम करने और परिणामस्वरूप दक्षता में सुधार लाने के लिए, आयोग ने यूपीसीएल को उच्च हानि वाले फीडरों की निगरानी के लिए एक स्थायी समिति गठित करने का निर्देश दिया है। यह समिति 10 सबसे अधिक हानि वाले फीडरों की पहचान करेगी और उनके प्रदर्शन की निगरानी और सुधार के लिए एक कार्य योजना तैयार करेगी। पहचाने गए फीडरों की सूची और कार्य योजना आयोग को प्रस्तुत की जाएगी, और आयोग द्वारा अनुमोदन के बाद, समिति पहचाने गए फीडरों पर कार्य योजना के अनुसार अपना कार्य शुरू करेगी और आयोग द्वारा अनुमोदन में निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर दक्षता सुधार के लिए की गई सिफारिशों और कार्रवाई सहित अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

i) संसाधनों के प्रभावी उपयोग और प्रयोग के लिए, आयोग ने यूपीसीएल को प्रत्येक विद्युत वितरण सर्कल (ईडीसी) को एक अलग रणनीतिक व्यावसायिक इकाई के रूप में नामित करने का निर्देश दिया है, ताकि समय–समय पर वित्तीय और परिचालन प्रदर्शन की निगरानी की जा सके। इसके अलावा, प्रत्येक ईडीसी के अंतर्गत सभी विद्युत वितरण प्रभागों को लाभ केंद्र माना जाएगा। प्रत्येक प्रभाग वित्तीय वर्ष 2026–27 के प्रत्येक माह के लिए पूंजीगत और परिचालन व्यय हेतु अपनी मासिक बजट आवश्यकता तैयार करके संबंधित ईडीसी को प्रस्तुत करेगा। ईडीसी अपने प्रभागों की आवश्यकताओं का विश्लेषण करेगा और यूपीसीएल के मुख्यालय को समेकित बजट भेजेगा। इस बजट का विश्लेषण संबंधित वित्तीय वर्ष के लिए आयोग द्वारा अनुमोदित आवर्ती बजट रिपोर्ट (एआरआर) के अनुसार किया जाएगा और अनुमोदित मासिक बजट की एक प्रति इस आदेश की तिथि से एक माह के भीतर आयोग को भेजी जाएगी।

   इसके बाद, ईडीसी अनुमोदित बजट के मुकाबले अपने डिवीजनों के परिचालन और वित्तीय प्रदर्शन की नियमित रूप से निगरानी करेंगे और संबंधित तिमाही की समाप्ति के एक महीने के भीतर आयोग को तिमाही आधार पर इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

j) आयोग ने सौर वॉटर हीटर की छूट को प्रत्येक 50 लीटर क्षमता के लिए रू0 75 यथावत् रखा गया है।

k) आयोग ने बिजली बिलों के डिजिटल भुगतान पर 1.5% और अन्य किसी माध्यम से भुगतान पर 1% की शीघ्र भुगतान छूट को बरकरार रखा है, बशर्ते कि एलटी उपभोक्ताओं के लिए अधिकतम छूट रू0 10,000 / माह और एचटी उपभोक्ताओं के लिए रू0 1,00,000 / माह होगी। इसके अलावा, बिल के आंशिक भुगतान पर कोई छूट लागू नहीं होगी।

l) आयोग ने सामान्य टैरिफ के 30% के बराबर पीक आवर सरचार्ज को यथावत् रखा गया है।

m) आयोग ने दर अनुसूची आरटीएस–2 में अस्पष्टता और कार्यान्वयन में कठिनाई को दूर करने के लिए, 'सरकारी / सरकारी सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानो' की उप–श्रेणी को 'अन्य गैर–घरेलू' उपभोक्ताओं में स्थानांतरित कर दिया है और 10 किलोवाट तक के भार वाले सरकारी / सरकारी सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों के लिए मौजूदा रियायती टैरिफ को बरकरार रखा है, जबकि 10 किलोवाट से अधिक भार वाले सरकारी / सरकारी सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों के टैरिफ को दर अनुसूची आरटीएस–2 में 'अन्य गैर–घरेलू' उपभोक्ताओं के साथ विलय कर दिया है।

n) आयोग ने प्रीपेड मीटरिंग योजना का लाभ उठाने वाले घरेलू श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए ऊर्जा प्रभार में 4% तथा अन्य उपभोक्ताओं के लिए ऊर्जा प्रभार में 3% की छूट को मंजूरी दी है तथा यह छूट केवल प्रीपेड मीटर की स्थापना तथा संचालन के पश्चात ही लागू होगी।

   यदि बिजली की आपूर्ति प्रीपेड मीटरों के माध्यम से की जाती है, तो कोई सुरक्षा जमा (चाहे भौतिक सुरक्षा जमा हो या उपभोग सुरक्षा जमा) लागू नहीं होगी, सिवाय अस्थायी कनेक्शनों के, जहां आपूर्ति संहिता में निर्दिष्ट अनुसार भौतिक सुरक्षा जमा लागू होगी। मौजूदा प्रीपेड उपभोक्ताओं के लिए, पहले से जमा की गई सुरक्षा राशि को प्रीपेड रिचार्ज में समायोजित किया जाएगा।

o) उपभोक्ताओं को नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से उत्पन्न संपूर्ण बिजली का लाभ उठाने में सुविधा प्रदान करने के लिए, आयोग ने रू0 0.39 / KWh का ग्रीन टैरिफ अनुमोदित किया है, जो मानक अनुमोदित टैरिफ के अतिरिक्त देय होगा।

p) विभिन्न श्रेणियों के उपभोक्ताओं के लिये दिनांक 01.04.2026 से अनुमोदित फुटकर टैरिफ दरों का सारांश विवरण निम्नवत् हैः—

वर्तमान टैरिफ (दिनांक 11 अप्रैल, 2025 के आदेश में स्वीकृत टैरिफ), यूपीसीएल द्वारा प्रस्तावित टैरिफ और उपभोक्ताओं की विभिन्न श्रेणियों के लिए श्रेणीवार अनुमोदित टैरिफ

आर0टी0एस0–1: घरेलू प्रभार

तलिका 2 : घरेलू उपभोक्ताओं हेतु टैरिफ

क्र0 सं0	विवरण	वर्तमान टैरिफ		UPCL द्वारा प्रस्तावित टैरिफ		अनुमोदित	
		स्थिर प्रभार (प्रति माह)	विद्युत मूल्य	स्थिर प्रभार (प्रति माह)	विद्युत मूल्य	स्थिर प्रभार (प्रति माह)	विद्युत मूल्य
	आर0टी0एस0–1: घरेलू						
1.1	लाईफ–लाईन उपभोक्ता	Rs. 18/Connection	Rs. 1.85/kWh	Rs. 18/Connection	Rs. 1.94/kWh	Rs. 18/Connection	Rs. 1.85/kWh
1.2	अन्य घरेलू उपभोक्ता						
(i)	0-100 यूनिट्स / माह	• Upto 1 kW-Rs. 75/kW/Month • Above 1 kW and upto 4 kW-Rs. 85/ kW/ month • Above 4 kW-Rs. 100/kW/ month	Rs. 3.65/kWh	• Upto 1 kW-Rs. 87/kW/Month • Above 1 kW and upto 4 kW-Rs. 99 /kW/month • Above 4 kW-Rs. 116/kW/ month	Rs. 4.23/ kWh	• Upto 1 kW-Rs. 75/kW/Month • Above 1 kW and upto 4 kW-Rs. 85/ kW/ month • Above 4 kW-Rs. 100/kW/ month	Rs. 3.65/kWh
(ii)	101-200 यूनिट्स / माह		Rs. 5.25/kWh		Rs. 6.09/ kWh		Rs. 5.25/kWh
(iii)	201-400 यूनिट्स / माह		Rs. 7.15 /kWh		Rs. 8.29/ kWh		Rs. 7.15 /kWh
(iv)	400 से ऊपर यूनिट्स / माह		Rs. 7.80/kWh		Rs. 9.04/ kWh		Rs. 7.80/kWh
2	एकल बिन्दु थोक आपूर्ति	Rs. 120/kVA	Rs. 7.50/kVAh	Rs.135/kVA	Rs. 7.88/ kVAh	Rs. 120/kVA	Rs. 6.25/kVAh

आर0टी0एस0–1ए : हिमाच्छादित क्षेत्रों हेतु रियायती प्रभार

तालिका 3 : हिमाच्छादित क्षेत्रों हेतु रियायती टैरिफ

क्र0 सं0	विवरण	वर्तमान टैरिफ		UPCL द्वारा प्रस्तावित टैरिफ		अनुमोदित	
		स्थिर प्रभार (प्रति माह)	विद्युत मूल्य	स्थिर प्रभार (प्रति माह)	विद्युत मूल्य	स्थिर प्रभार (प्रति माह)	विद्युत मूल्य
	आर0टी0एस0 1ए : हिमाच्छादित						
1.	घरेलू	Rs. 18/ Connection	Rs. 1.85/kWh	Rs. 21/ Connection	Rs. 2.16/kWh	Rs. 18/ Connection	Rs. 1.85/kWh
2.	1 किलो वाट तक के अघरेलू	Rs. 18/ Connection	Rs. 1.85/kWh	Rs. 21/ Connection	Rs. 2.16/kWh	Rs. 18/ Connection	Rs. 1.85/kWh
3.	1 किलो वाट से ऊपर व 4 किलो वाट तक के अघरेलू	Rs. 18/ Connection	Rs. 2.75/kWh	Rs. 21/ Connection	Rs. 3.21/kWh	Rs. 18/ Connection	Rs. 2.75/kWh
4.	4 किलो वाट से ऊपर के अघरेलू	Rs. 30/ Connection	Rs. 4.00/kWh	Rs. 35/ Connection	Rs. 4.67/kWh	Rs. 30/ Connection	Rs. 4.00/kWh

आर0टी0एस0–2 : अघरेलू टैरिफ

तालिका 4 : अघरेलू उपभोक्ताओं के लिए टैरिफ

क्र0 सं0	विवरण	वर्तमान टैरिफ		UPCL द्वारा प्रस्तावित टैरिफ		अनुमोदित	
		स्थिर प्रभार (प्रति माह)	विद्युत मूल्य	स्थिर प्रभार (प्रति माह)	विद्युत मूल्य	स्थिर प्रभार (प्रति माह)	विद्युत मूल्य
1	सरकारी, शैक्षणिक संस्थानों एवं चिकित्सालयों आदि						
1.1	25 किलो वॉट तक	Rs. 90/ kW	Rs. 6.00/ kWh	Rs. 105/kW	Rs. 7.01/ kWh	Rs. 90/ kW	Rs. 6.00/kWh
1.2	25 किलो वॉट से ऊपर	Rs. 100/ kVA	Rs. 5.85/ kVAh	Rs. 117/kVA	Rs. 6.83/kVAh	Rs. 100/ kVA	Rs. 5.85/kVAh
2	अन्य अघरेलू उपभोक्ता						
2.1	4 कि0वॉ0 तक तथा उपभोग 60 यूनिट्स तक प्रतिमाह	Rs. 90 / kW	Rs. 5.75/ kWh	Rs. 113 /kW	Rs.6.71 / kWh	Rs. 90 / kW	Rs. 5.75/ kWh
2.2	सरकारी/सरकारी सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान 10 किलोवॉट तक	-	-	-	-	Rs. 90/ kW	Rs. 6.00/ kWh
2.3	अन्य 25 किलोवॉट तक जो ऊपर 2.1 एवं 2.2 में शामिल नहीं	Rs. 110 / kW	Rs. 7.75/ kWh	Rs. 129 /kW	Rs. 9.05 / kWh	Rs. 110 / kW	Rs. 7.75/ kWh
2.4	25 किलो वॉट से ऊपर	Rs. 115 / kVA	Rs. 7.80/ kVAh	Rs. 135 /kVA	Rs. 9.11/kVAh	Rs. 115 / kVA	Rs. 7.80/kVAh
3	75 किलोवॉट से ऊपर सिंगल प्वाइंट थोक आपूति	Rs. 130 / kVA	Rs. 7.80/ kVAh	Rs. 163/ kVA	Rs. 9.11/kVAh	Rs. 130 / kVA	Rs. 7.80/kVAh
4	स्वतंत्र विज्ञापन होर्डिंग	Rs. 140/ kW	Rs. 8.60/kWh	Rs. 163/ kW	Rs. 10.04/kWh	Rs. 140/ kW	Rs. 8.60/ kWh

आर0टी0एस0–3 : गवर्नमेंट पब्लिक यूटिलिटिज़

तलिका 5 : गवर्नमेंट पब्लिक यूटिलिटिज़ हेतु टैरिफ

विवरण	वर्तमान टैरिफ		UPCL द्वारा प्रस्तावित टैरिफ		अनुमोदित	
	स्थिर/मांग प्रभार (प्रति माह)	विद्युत मूल्य	स्थिर/मांग प्रभार (प्रति माह)	विद्युत मूल्य	स्थिर/मांग प्रभार (प्रति माह)	विद्युत मूल्य
शहरी (मीटर्ड)	Rs. 130/kVA	Rs. 7.85/ kVAh	Rs. 152/kVA	Rs. 9.17/ kVAh	Rs. 130/kVA	Rs. 7.85/ kVAh
ग्रामीण (मीटर्ड)	Rs. 120/kVA	Rs. 7.85/ kVAh	Rs. 140/kVA	Rs. 9.17/ kVAh	Rs. 120/kVA	Rs. 7.85/ kVAh

आर0टी0एस0–4/4ए : निजी नलकूप/पंपिंग सेट्स हेतु टैरिफ

तालिका 6 : निजी नलकूप/पंपिंग सेट्स हेतु टैरिफ

श्रेणी	वर्तमान टैरिफ		UPCL द्वारा प्रस्तावित टैरिफ		अनुमोदित	
	स्थिर/मांग प्रभार (प्रति माह)	विद्युत मूल्य	स्थिर/मांग प्रभार (प्रति माह)	विद्युत मूल्य	स्थिर/मांग प्रभार (प्रति माह)	विद्युत मूल्य
आर0टी0एस0–4: निजी नलकूप/पंपिंग सेट्स						
मीटर्ड	Nil	Rs. 2.70/ kWh	Nil	Rs. 2.84/ kWh	Nil	Rs. 2.70/kWh
आर0टी0एस0–4ए: कृषि सहयोगी सेवायें						
(Upto 25 kW)	Nil	Rs. 3.80/kWh	Nil	Rs. 3.99/kWh	Nil	Rs. 3.80/kWh
(Above 25 kW & upto 75 kW)	Rs. 75/kVA	Rs. 3.80/kVAh	Rs. 88/kVA	Rs. 3.99/kVAh	Rs. 75/kVA	Rs. 3.80/kVAh
Above 75 kW	Rs. 100/kVA	Rs. 4.00/kVAh	Rs. 1117/kVA	Rs. 4.20/kVAh	Rs. 100/kVA	Rs. 4.00/kVAh

आर0टी0एस0–5 : इंडस्ट्रीज हेतु टैरिफ

तालिका 7 : एलटी इंडस्ट्रीज हेतु टैरिफ

श्रेणी	वर्तमान टैरिफ		UPCL द्वारा प्रस्तावित टैरिफ		अनुमोदित	
	स्थिर प्रभार (प्रति माह)	विद्युत मूल्य	स्थिर प्रभार (प्रति माह)	विद्युत मूल्य	स्थिर प्रभार (प्रति माह)	विद्युत मूल्य
आर0टी0एस0-5: इंडस्ट्री						
एलटी इंडस्ट्रीज						
1. अनुबंधित भार 75 किलोवॉट तक	Rs. 185/ kVA	Rs. 5.75/ kVAh	Rs. 185/ kVA	Rs. 6.71/ kVAh	Rs. 185/ kVA	Rs. 5.75/ kVAh

तालिका 8 : एचटी इंडस्ट्रीज के लिए मौजूदा, प्रस्तावित टैरिफ

क0	श्रेणी	लोड फेक्टर	वर्तमान टैरिफ		UPCL द्वारा प्रस्तावित टैरिफ	
			विद्युत मूल्य (Rs./kVAh)	स्थिर /मॉग प्रभार (Rs./kVA)	विद्युत मूल्य (Rs./kVAh)	स्थिर /मॉग प्रभार (Rs./kVA)
1	88kVA/75 kW (100 BHP) से अधिक अनुबन्धित लोड वाली एच0टी0 इंड्स्ट्रीज					
1.1	1000 kVA तक अनुबन्धित लोड	Upto 40%	6.45	Rs. 410/ kVA of the billable demand	7.53	Rs. 479/kVA of the billable demand
		Above 40%	6.85		8.00	
1.2	1000 kVA से अधिक अनुबन्धित लोड	Upto 40%	6.45	Rs. 480/ kVA of the billable demand	7.53	Rs. 560/kVA of the billable demand
		Above 40%	6.85		8.00	

तालिका 9 : एचटी इंडस्ट्रीज के लिए अनुमोदित टैरिफ

क0	श्रेणी	लोड फेक्टर	अनुमोदित टैरिफ	
			विद्युत मूल्य (Rs./kVAh)	स्थिर /मॉग प्रभार (Rs./kVA)
1	88kVA/75 kW (100 BHP) से अधिक अनुबन्धित लोड वाली एच0टी0 इंडस्ट्रीज			
1.1	1000 kVA तक अनुबन्धित लोड	Upto 50%	6.85	Rs. 410/ kVA of the billable demand
		Above 50%	6.60	
1.2	1000 kVA से अधिक अनुबन्धित लोड	Upto 50%	6.85	Rs. 480/ kVA of the billable demand
		Above 50%	6.60	

आर0टी0एस0-6: मिश्रित भार हेतु टैरिफ

तालिका 10 : मिश्रित भार हेतु टैरिफ

विवरण	वर्तमान टैरिफ		UPCL द्वारा प्रस्तावित टैरिफ		अनुमोदित टैरिफ	
	स्थिर /मॉग प्रभार (प्रति माह)	विद्युत मूल्य	स्थिर /मॉग प्रभार (प्रति माह)	विद्युत मूल्य	स्थिर /मॉग प्रभार (प्रति माह)	विद्युत मूल्य
आर0टी0एस0–6 : मिश्रित भार						
डीम्ड लाईसेंसी के रूप में एम0ई0एस0 सहित 75 किलोवॉट से ऊपर मिश्रित भार सिंगल प्वाईंट थोक आपूर्ति	Rs. 150/kVA	Rs. 7.30/ kVAh	Rs. 175/kVA	Rs. 8.52/ kVAh	Rs. 150/kVA	Rs. 7.30/ kVAh

आर0टी0एस0–7 : रेलवे ट्रैक्शन हेतु टैरिफ

तलिका 11 : रेलवे ट्रैक्शन हेतु टैरिफ

विवरण	वर्तमान टैरिफ		UPCL द्वारा प्रस्तावित टैरिफ		अनुमोदित टैरिफ	
	स्थिर /मॉग प्रभार (प्रति माह)	विद्युत मूल्य	स्थिर /मॉग प्रभार (प्रति माह)	विद्युत मूल्य	स्थिर /मॉग प्रभार (प्रति माह)	विद्युत मूल्य
आर0टी0एस0-7: रेलवे ट्रैक्शन	Rs. 330/kVA	Rs. 7.05/ kVAh	Rs. 413/kVA	Rs. 8.23/ kVAh	Rs. 330/kVA	Rs. 7.05/ kVAh

आर0टी0एस0–8 : इलैक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशनस्

तालिका 12 : इलैक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशनस् हेतु टैरिफ

विवरण	वर्तमान टैरिफ		UPCL द्वारा प्रस्तावित टैरिफ		अनुमोदित टैरिफ	
	स्थिर /मॉग प्रभार (प्रति माह)	विद्युत मूल्य	स्थिर /मॉग प्रभार (प्रति माह)	विद्युत मूल्य	स्थिर /मॉग प्रभार (प्रति माह)	विद्युत मूल्य
आर0टी0एस0–8 : इलैक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशनस्	--	Rs. 7.65/ kWh	--	Rs. 8.03/ kWh	--	Rs. 7.65/ kWh

****